

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ

दूरभाष संख्या-0522-2289212, 2289296

Email- csup@nic.in

पत्र संख्या-814/पीएसएमएस/2024

दिनांक : 06 सितम्बर, 2024

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

प्रख्याप्ति नीति के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के रखरखाव का भुगतान राज्य वित्त आयोग व राज्य बजटीय व्यवस्था से किए जाने का निर्णय लिया गया है। यूजर चार्ज पंचायत द्वारा वसूलने की व्यवस्था है। राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि पंचायत की धनराशि उन्हीं परियोजनाओं के रखरखाव पर खर्च की जा सकती है, जो परियोजनाएं पंचायतों को हैण्ड ओवर की गयी हैं। उपरोक्त निर्देशों के दृष्टिगत पंचायती राज विभाग द्वारा एक पोर्टल www.rwsp.upprd.in पेयजल परियोजनाओं के हैण्डिंग ओवर एवं टेकिंग ओवर के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर दिनांक 06.09.2024 तक 152 परियोजनाओं को हैण्डिंग ओवर-टेकिंग ओवर पूर्ण किया गया है। पंचायतों द्वारा उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं को हैण्ड ओवर, टेक ओवर करने से पहले सभी घरों को नल का कनेक्शन दिया गया है, इसकी पुष्टि भी की जाती है साथ ही एज बिल्ट ड्राईंग डिजाईन, फोटोग्राफ इत्यादि भी पोर्टल पर अपलोड कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य टेस्टिंग रिपोर्ट उदाहरणतः हाईड्रो टेस्टिंग रिपोर्ट आदि पोर्टल पर अपलोड करायी जाती है। पंचायती राज विभाग की धनराशि विद्यमान नियमों के अन्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं के रखरखाव पर व्यय की जा सकती है, जो परियोजनाएं पंचायतों को हैण्ड ओवर की जाएंगी। उन्हीं परियोजनाओं को पंचायतों को हैण्ड ओवर माना जाएगा, जो इस पोर्टल के माध्यम से हैण्ड ओवर की जायेंगी।

अतः सभी सम्बन्धित को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पोर्टल पर पूर्ण परियोजनाओं को पंचायतों को हैण्ड ओवर कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Manoj
06.09.2024
(मनीज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।

06.09.2024

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ

दूरभाष संख्या-0522-2289212, 2289296

Email- csup@nic.in

पत्र संख्या-814/पीएसएमएस/2024

दिनांक : 06 सितम्बर, 2024

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

प्रख्याप्ति नीति के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के रखरखाव का भुगतान राज्य वित्त आयोग व राज्य बजटीय व्यवस्था से किए जाने का निर्णय लिया गया है। यूजर चार्ज पंचायत द्वारा वसूलने की व्यवस्था है। राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि पंचायत की धनराशि उन्हीं परियोजनाओं के रखरखाव पर खर्च की जा सकती है, जो परियोजनाएं पंचायतों को हैण्ड ओवर की गयी हैं। उपरोक्त निर्देशों के दृष्टिगत पंचायती राज विभाग द्वारा एक पोर्टल www.rwsp.upprd.in पेयजल परियोजनाओं के हैण्डिंग ओवर एवं टेकिंग ओवर के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर दिनांक 06.09.2024 तक 152 परियोजनाओं को हैण्डिंग ओवर-टेकिंग ओवर पूर्ण किया गया है। पंचायतों द्वारा उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं को हैण्ड ओवर, टेक ओवर करने से पहले सभी घरों को नल का कनेक्शन दिया गया है, इसकी पुष्टि भी की जाती है साथ ही एज बिल्ट ड्राईंग डिजाईन, फोटोग्राफ इत्यादि भी पोर्टल पर अपलोड कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य टेस्टिंग रिपोर्ट उदाहरणतः हाईड्रो टेस्टिंग रिपोर्ट आदि पोर्टल पर अपलोड करायी जाती है। पंचायती राज विभाग की धनराशि विद्यमान नियमों के अन्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं के रखरखाव पर व्यय की जा सकती है, जो परियोजनाएं पंचायतों को हैण्ड ओवर की जाएंगी। उन्हीं परियोजनाओं को पंचायतों को हैण्ड ओवर माना जाएगा, जो इस पोर्टल के माध्यम से हैण्ड ओवर की जायेंगी।

अतः सभी सम्बन्धित को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पोर्टल पर पूर्ण परियोजनाओं को पंचायतों को हैण्ड ओवर कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।


संलग्नक-यथोक्त।

06.09.2024

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।


06.09.2024
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2022

विषय:-ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व निर्मित पेयजलापूर्ति की परियोजनाओं एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित की जा रही परियोजनाओं के हैण्डओवर/टेकओवर हेतु Standard Operating Procedure (एस.ओ.पी.) के निर्धारण विषयक।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को नल से जल देने के लिए पूर्व में निर्मित पेयजल योजनाओं के साथ-साथ जल जीवन मिशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 तरह की परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है :-

- (i) सिंगल विलेज स्कीम, भूगर्भ जल पर आधारित।
- (ii) मल्टीपल विलेज स्कीम, भूगर्भ जल पर आधारित।
- (iii) मल्टीपल विलेज स्कीम, Surface सोर्स वाटर पर आधारित।

2. इन योजनाओं को पूरा करने के उपरान्त ग्राम पंचायतों को एवं जनपद स्तरीय पेयजल एवं स्वच्छता समिति को संचालन के लिए हस्तांतरित किया जाना है। नई बनाई जा रही योजनाओं को 10 वर्ष तक संचालन का कार्य सम्बन्धित कॉन्ट्रैक्टर, जो योजना के विकास के लिए चयनित है, उसके द्वारा ही किया जाना है। चूँकि संचालन के दौरान प्रति वर्ष ओ0 एण्ड एम0 चार्ज एवं विद्युत चार्ज का भुगतान सम्बन्धित पंचायतों द्वारा किया जाना है, अतः यह आवश्यक है कि क्रियान्वित की गयी योजनाओं से सभी घरों को नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति हो ताकि यूजर चार्ज कलेक्शन में बाधा न आये।


3. उपरोक्त व्यवस्था के सही संचालन के लिए पंचायती राज निदेशालय में ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उक्त प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किए गए परियोजनाओं के हस्तांतरण (टेकओवर/हैण्डओवर) के लिए एक Standard Operating Procedure (S.O.P.) तैयार किया गया है, जिसके अनुसार योजनाओं का हस्तांतरण पंचायतों/जनपद स्तरीय समिति को किया जाना है। उपरोक्त श्रेणी की योजनाओं के अतिरिक्त रेट्रो फिटिंग एवं जल निगम द्वारा ऑन गोईंग स्कीम के तहत भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इनके हैण्डिंग ओवर की कार्यवाही भी पंचायतों को की जानी है, जिसके लिए भी यह Standard Operating Procedure (S.O.P.) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। Standard Operating Procedure (S.O.P.) पर नमामि गंगे एवं

ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया है एवं Standard Operating Procedure (S.O.P.) के अनुसार पूर्ण परियोजनाओं के हैण्डिंग ओवर/टेकिंग ओवर की कार्यवाही के इस प्रस्ताव पर पंचायती राज मंत्री जी के रूप में मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

4. अतः इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह Standard Operating Procedure (S.O.P.) पेयजल विषयक सभी योजनाओं पर लागू होंगी और सभी ग्रामीण पेयजल योजनाओं का इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन हैण्डिंग ओवर/टेकिंग ओवर की कार्यवाही पूरी की जाएगी। निदेशक, पंचायती राज, पंचायती राज निदेशालय में गठित ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ के विशेषज्ञों की सहायता से जल निगम के जनपद स्तरीय अधिकारी/फील्ड टीम के कर्मचारी तथा पंचायती राज विभाग के फील्ड स्तर के पदाधिकारी व कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था बनायेंगे।

5. इस सम्बन्ध में Standard Operating Procedure (S.O.P.) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के हैण्डिंग ओवर/टेकिंग ओवर के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 1896 (1)/33-3-2022-1028/2022 टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिशासी अभियंता, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
8. श्री अभिषेक दत्ता, स्टेट कन्सल्टेन्ट, ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

(एस.ओ.पी.)



पंचायती राज



ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएं, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश
का

हस्तान्तरण
एवं
हस्तगत

ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

Rev- 00, Dt.- / /2022


1

Manoj



हस्तान्तरण

फलो डायग्राम





पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

Abbreviation (संक्षिप्तीकरण)

OHT	Over Head Tank
ESR	Elevated Storage Reservoir
RWI	Raw Water Intake
BPS	Booster Pumping station
W/S	Water Supply
DPR	Detail Project Report
BoQ	Bill of Quantity
HH	House Hold
GP	Gram Panchayat
O&M	Operation & Maintenance
DLP	Defect Liability Period
E&M	Electrical & Mechanical
FHTC	Functional House hold Tap Connection
WTP	Water Treatment Plant
T/W	Tube Well
HSC	House Service Connection
MLD	Million Litre per Day
LPH	Litre Per Hour
HP	Horse Power
KL	kilo Litre
CPMP	Critical Pressure Monitoring Point
LPCD	Litre Per Capita per Day
DI	Ductile Iron
HDPE	High Density Polyethylene Pipe
JJM	Jal Jeevan Mission
UP JN	Uttar Pradesh Jal Nigam
GJC	Gramin Jalapurti Cell
PR	Panchayati Raj, Uttar Pradesh



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

एस.ओ.पी. (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर)

जलापूर्ति योजना हेतु हस्तान्तरण एवं हस्तगत

संलग्नक संख्या	विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अपलोड किया गया	वस्तुस्थिति
1	2	3	4
प्रथम चरण			
संलग्नक 1	मूल विवरण	कार्यकारी संस्था	प्रारम्भिक
संलग्नक 2	अनुलग्नक		
संलग्नक 3	ड्राइंग एवं मानचित्र हेतु चेकलिस्ट		
संलग्नक 4	संचालन एवं रखरखाव हेतु चेकलिस्ट तथा संलग्नक		
संलग्नक 5	वितरण वाल्व संचालन अनुसूची		
संलग्नक 6	पंप संचालन अनुसूची		
संलग्नक 7	पूर्व असफलता रिपोर्ट के साथ पाइपलाइनों के हाइड्रो-परीक्षण को संलग्न करना		
संलग्नक 8	लागबुक का हस्तान्तरण (ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, ओ.एच. ., बी.पी.एस., नलकूप आदि)		
संलग्नक 9	इन्वेंटरी/उपकरण हैंडओवर का नमूना हस्तान्तरण		
द्वितीय चरण (परीक्षण एवं निरीक्षण)			
परीक्षण	क्रिटिकल प्रेशर मॉनिटरिंग पॉइंट एनालिसिस एंड प्रेशर टेस्टिंग, वॉक थ्रू सर्वे, ड्रॉप टेस्ट (पुराने ईएसआर के लिए) आदि	कार्यकारी संस्था	अंतिम
	संयुक्त स्थल निरीक्षण	.पी.आर.ओ./ए. ओ.(पी)ए सचिव-ग्राम पंचायतए कार्यकारी संस्था इत्यादि	



फलो डायग्राम

जलापूर्ति योजना की टेस्टिंग
एण्ड कमीशनिंग

ट्रायल एण्ड रन
अवधि

आरम्भिक हस्तान्तरण एवं हस्तगत

प्रथम चरण (कार्यकारी संस्था द्वारा)

हस्तान्तरण एवं हस्तगत हेतु अनुरोध पत्र

अपलोड

संलग्नक-1 : मूल विवरण

फिल

अपलोड

संलग्नक-2 : अनुलग्नक ; प्राक्कलन, बी.ओ.क्यू. आदि

अपलोड

संलग्नक-3 : वास्तविक निर्माण की ड्राइंग

फिल

अपलोड

संलग्नक-4 : संचालन और रखरखाव अनुसूची

फिल

अपलोड

संलग्नक-5 : वाल्व संचालन

डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व

फिल

अपलोड

ट्रांसमिशन वाल्व

फिल

अपलोड

संलग्नक-6 : पम्प संचालन अनुसूची

फिल

नमूना प्रारूप संलग्न

संलग्नक-7 : हाइड्रो-टेस्टिंग रिपोर्ट

अपलोड

संलग्नक-8 : लॉगबुक हस्तान्तरण

फिल

अपलोड

फील्ड टेस्ट

उपभोगता द्वारा प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट

फिल

अपलोड

क्रिटिकल प्रेशर जाँच बिन्दु विश्लेषण

फिल

अपलोड

ई.एस.आर./ओ.एच. हेतु ड्राप टेस्ट

फिल

अपलोड

साइट पर सर्वेक्षण और जल गणवत्ता परीक्षण के

अपलोड

संलग्नक-9 : इन्वेंटरी/उपकरण हस्तान्तरण

हाँ

ग्रामीण जलापूर्ति सेल द्वारा मूल्यांकन

नहीं

नहीं

द्वितीय चरण

हाँ ए0डी0ओ0 (ब्लाक)

संयुक्त साइट का दौरा: डीपीआरओ/एडीओ, कार्यकारी एजेंसी,
सचिव-जीपी और साइन संयुक्त साइट विजिट रिपोर्ट

अपलोड

ड0पी0आर0ओ0
(जनपद)

हाँ

हस्तान्तरण एवं हस्तगत

नहीं

(हस्तान्तरण एवं हस्तगत डी0पी0आर0ओ0 द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है)

डाउनलोड

- दिशा-निर्देश
- कार्यपद्धति
- एस0ओ0पी0
- नये आदेश

चैट बॉक्स

नोट :

यूपी जेएन, जेजेएम, पीआर, जीजेसी के बीच प्रोजेक्ट हैंडओवर-टेकओवर के संबंध में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए चैट बॉक्स सुविधा उपलब्ध है



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P. _HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

चरण - 1

अनुरोध पत्र

संलग्नक - 1

अपलोड

(कार्यकारी संस्था द्वारा)

मूल विवरण

ग्राम/योजना का नाम	जनपद/ब्लाक /ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या	कुल गृह संयोजन	कुल पेयजल /गृह संयोजन	कार्य प्रारम्भ की तिथि (अनुबन्ध के अनुसार)	कार्य समाप्ति की तिथि (अनुबन्ध के अनुसार)	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
		वर्तमान	डिजाइन वर्ष				
1.							
2.							
जोड़े							
योग =	N/A				N/A	N/A	N/A
स्वीकृत लागत (रु. लाख)							
कार्य लागत/ प्राक्कलन की लागत (रु. लाख में)							
निविदित लागत (रु. लाख में) पैकेज का विवरण, यदि हो)							
ठेकेदार का नाम :							
ट्रायल एण्ड रन की प्रारम्भिक तिथि :							
ट्रायल एण्ड रन की समाप्ति तिथि:							
सिविल इन्फ्रा. हेतु अनुसूचित अवधि							
वि/यॉ. इन्फ्रा. हेतु अनुसूचित अवधि							

नोट: कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अद्यतन/अपलोड किया जाना है

प्रस्तुत एवं आगामी



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

संलग्नक - 2 (अनुलग्नक)

	प्रस्तावित अनुलग्नकों की मर्दे	स्थिति	
		है	नहीं
अपलोड	निविदा के अनुसार स्टीमेट और बीओक्यू के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट		
अपलोड	योजना का फ्लो डायग्राम		
अपलोड	परीक्षण और कमीशनिंग प्रमाणपत्र		
अपलोड	ट्रायल एंड रन कंप्लीशन प्रमाण पत्र		
अपलोड	विक्रेता को 'दोषपूर्ण देयता अवधि' / ओ एंड एम के आदेश को आगे बढ़ाने का आदेश		
अपलोड	हाइड्रोलिक डिजाइन / मॉडलिंग		
अपलोड	हाइड्रो-टेस्टिंग रिपोर्ट (नमूना संलग्न)		
अपलोड	इनवेन्ट्री हस्तान्तरण सूची (आईएनवी / हैण्डओवर / 22 / पीआर के अनुसार) नमूना संलग्न		
अपलोड	हस्तान्तरण (पीबी (लीड), आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि से पहले जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट आईएस-10500: 2012, आईएस 3025, आईएस 1622 (समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल) के अनुसार पूर्ण है।		

नोट :- न्यूनतम प्रत्येक गांव/जल आपूर्ति क्षेत्र (जो एक छोटा है) के अलग-अलग 'टेल एंड' से लिए जाने वाले 5 नमूने, बीच से 5 नमूने आंचलिक क्षेत्र और डब्ल्यूटीपी (आउटलेट) आदि।

नोट :

- पोर्टल में अपलोड करने के लिए सभी अनुलग्नक अनिवार्य है।
- निर्मित ड्राइंग ऑटो कैड प्रारूप में होनी चाहिए ('एज विल्ट ड्राइंग' तैयार करने के लिए माप लेने की प्रक्रिया संलग्न है)

प्रस्तुत

(कार्यकारी संस्था द्वारा)

नोट : कार्यकारी संस्था द्वारा अपलोड किया जाना है ।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

संलग्नक - 3

(वास्तविक निर्माण की ड्राईंग)

क्र.सं.	विवरण	है	नहीं	नोट /अनुदेश	टिप्पणी (विभाग द्वारा परियोजना को हार्डकवर करना)
1	2	3	4	5	6
1	निर्मित ड्राईंग के रूप में जल आपूर्ति प्रणाली				
1.1.	पाइपलाइन नेटवर्क			ड्राईंग नं०- ASBUILT/22/ PR/00 के अनुसार	
1.2.	'शट ऑफ वाल्व' की स्थिति			ड्राईंग नं०- ASBUILT/22/ PR/00 के अनुसार	
1.3.	आइसोलेशन वाल्व की स्थिति			ड्राईंग नं०- VALVE/ISO /22/PR/00 के अनुसार	
1.4.	हाइड्रोलिक सेग्रीगेशन जोन (जलापूर्ति जोन)			ड्राईंग नं०- VALVE/HSZ/ 22/PR/00 के अनुसार	
1.5.	स्कावर वाल्व की स्थिति			ड्राईंग नं०- ASBUILT/22 /PR /00 के अनुसार	
1.6.	पाइप लाइन के व्यास के साथ मानचित्र में इंटरकनेक्शन और बाईपास व्यवस्था।			ड्राईंग नं०- ASBUILT/22/ PR/00 के अनुसार	
1.7.	फायर हाइड्रेंट की स्थिति (द्वारा बीओक्यू में उल्लेख किया गया है)			ड्राईंग नं०- ASBUILT/22 /PR/00 के अनुसार	
1.8.	/ट्रांसमिशन मेन के ले-आउट के निर्माण के रूप में				
1.9.	बल्क मीटर की स्थिति			ड्राईंग नं०- ASBUILT/22/ PR/00 के अनुसार	
2.	एसेट मैपिंग				
2.1.	आरडब्ल्यूआई की स्थिति (रॉ वाटर इनटेक)			-	
2.2.	ओ.एच. . की स्थिति (ओवर हेड टैंक)			-	
2.3.	पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट की स्थिति (यदि हो)			-	
2.4.	बी.पी.एस. की स्थिति (बूस्टर पम्पिंग स्टेशन)			-	
2.5.	कन्ट्रोल रूम की स्थिति			-	

निर्मित मानचित्र के अनुरूप
अपलोड करें

जोड़े

अलग-अलग जोन/जल आपूर्ति प्रणालियों के 'निर्मित ड्राईंग' को अलग से
अपलोड करने के लिए 'जोड़े' पर क्लिक करें।


नोट : कार्यकारी संस्था द्वारा अपलोड किया जाना है ।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

निर्मित (AS BUILT) मानचित्र के रूप में तैयार करने के लिए डेटा लेने के निर्देश
(ASBUILT/22/PR/00) (SUBJECT/YEAR/DEPT./REVISION)



- सड़क की मध्य रेखा
- विद्युत पोल (झाईंग में पोल नं० का उल्लेख करें)
- ⊗ आइसोलेशन वाल्व
- ⊕ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व
- CH. चैन ऐज
- OD. ऑफसेट दूरी
- ⊙ स्कावर वाल्व
- ⊕ एअर वाल्व

नोट:- विद्युत पोल, सामुदायिक केंद्र, ट्रांसफार्मर, एचएच आदि जैसी स्थायी वस्तु से पाइपलाइन, वाल्व, मीटर (यदि कोई हो), इंटरकनेक्शन, बाईपास, ब्लाइंड फ्लैज, रेड्यूसर, आइसोलेशन वाल्व आदि की दूरी का उल्लेख सड़क से बाहर सीएच दूरी के साथ ऊपर से गहराई के साथ किया जाएगा।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

संलग्नक - 4

संचालन एवं अनुरक्षण अनुसूची

नोट :-

- जलापूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव का प्रमुख उद्देश्य टिकाऊ, न्यायसंगत, सुसंगत, आर्थिक, सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है।
- सामान्य रूप से प्रणाली के संचालन का अर्थ है समय पर और दैनिक प्रणाली के प्रभावी नियमित संचालन को सुनिश्चित करना
- सामान्य तौर पर अनुरक्षण का अर्थ है योजनाबद्ध, निवारक या सुधारात्मक अनुरक्षण, मरम्मत आदि सहित संरचनाओं/प्रणाली का रख-रखाव।

(जलापूर्ति हेतु समय सारिणी)

ब्लॉक ▼	ग्राम पंचायत ▼	ग्राम/क्षेत्र /जोन	जलापूर्ति समय				आपूर्ति ओ.एच.							
			प्रातःकाल		सांयकाल		आपूर्ति हेतु ओ.एच. का नाम	प्रातःकाल (फिलिंग)		सांयकाल (फिलिंग)				
			से	तक	से	तक		से	तक	से	तक			

अपलोड

अपडेट

नोट: संचालन एवं रखरखाव अनुसूची की हार्डकॉपी/पीडीएफ विक्रेता और कार्यकारी संस्था द्वारा हस्ताक्षरित अपलोड किया जाएगा।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

संलग्नक - 5

ट्रान्समिशन मेन्स के लिए वाल्व संचालन अनुसूची

ब्लॉक ▼	ग्राम पंचायत ▼	ग्राम/क्षेत्र/जोन	वाल्व नं० (झाईंग के अनुसार)		डिस्ट्रिब्यूशन मेन वाल्व			आईशोलेशन वाल्व (% चोक)	उत्पवाह एम. एल.डी. में (यदि मापा गया)
			क्र. सं.	वाल्व का नाम/संख्या	खुलने का समय	बन्द होने का समय	% चोक		
1	2	3		4	5	6	7	8	9

अपलोड

अपडेट

नोट : कार्यकारी संस्था द्वारा अपडेट/अपलोड किया जाना है।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

संलग्नक - 6

पंप संचालन अनुसूची

ग्राम पंचायत	ग्राम/क्षेत्र /जोन	पम्प हाउस का नाम/ संख्या	पम्प का विवरण				विद्युत सोर्स (एसी, डीसी, एसी+ डीसी)	कनेक्टेड ओ. एच. / सी.डब्लू.आर/ डब्ल. पी. का नाम		ओएचटी /सीडब्लू आर/ डब्ल. पी. की क्षमता	वर्तमान में संचालित (ग्रेविटी/ संयुक्त पम्पिंग)
			पम्प हाउस संख्या	बहाव (एल.पी. एच)	क्षमता (एच.पी)	चलने का समय / दिन		श्रेणी	नाम		
1							ओ.एच.		
2								..			
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

नोट :

1. कार्यकारी संस्था द्वारा भरा जाना है।
2. 'नो लीकेज प्रमाण पत्र' कार्यकारी संस्था द्वारा अपलोड किया जाना है।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

हाइड्रो-टेस्टिंग रिपोर्ट (नमूना प्रारूप)

नोट- कार्यकारी एजेंसी/विक्रेता आई.एस. कोड के अनुसार अपने स्वयं के प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं।

TEST REPORT	PROJECT NAME:	Date	
		Page	
Contract No. CO-001	Milestone No	Rev 0	
Subject : HYDR0TESTING TEST REPORT		Ref. :	
LINE NO. :	LOCATION :		
FIELD :	P & I D NO :		
LOOP APPROVED DOCUMENTATION:			
LINE UNDER TEST : _____			
FROM POINT : _____			
TO POINT : _____			
DESIGN PRESSURE :	_____ bar (psig)		
TEST PRESSURE :	_____ bar (psig)	AIR TEMP _____ °C (°F)	
DURATION TEST :	_____ hours		
DATE OF TEST :	_____		
START OF TEST :	_____		
END OF TEST :	_____	OK <input type="checkbox"/>	
RECORDING INSTRUMENTS : CHECK CALIBRATION <input type="checkbox"/>			
TEST RESULT : _____			
ATTACHED	HYDROTEST TEMPERATURE CHARTS	OK <input type="checkbox"/>	
Remark's			
	CON QA/QC INSPECTED	CLIENT	THIRD PARTY
Print Name			
Signature			
Date			

अपलोड टेस्ट डायग्राम

अपलोड असफल
डाटाशीट

अपलोड टेस्ट रिपोर्ट

नोट- कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किया जाना ।

Rev- 00, Dt.- / /2022

14



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P. _HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

संलग्नक - 8

लॉगबुक हस्तान्तरण

द्वारा हस्तान्तरित	द्वारा हस्तगत	हस्तान्तरण की दिनांक	स्थान/स्थल	प्रतिकृति/छवि
नाम	नाम			अपलोड
पदनाम	पदनाम			

(लॉगबुक का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ)

स्वीकृत

(सचिव-ग्रा0पं0 द्वारा)

जांच

(ए0डी0ओ0 द्वारा)

नोट :- 'लॉग बुक' पंप हाउस, ट्रीटमेंट प्लांट, ईएसआर फिलिंग, ट्यूबवेल ऑपरेशन आदि के 'लॉग डेटा शीट रजिस्टर' को संदर्भित करता है।

नोट :- कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किया जाना ।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

संलग्नक - 9

इन्वेंटरी/उपकरण हैंडओवर का नमूना हस्तान्तरण

क्र. सं.	उपकरण का नाम	फोटो	मात्रा	विवरण	उत्पादन	माडल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
		अपलोड					
		अपलोड					
		अपलोड					

जोड़े

प्रस्तुत करें

(कार्यकारी संस्था द्वारा)

अनुबन्ध अपलोड

(कार्यकारी संस्था द्वारा)

जाँचा गया

(सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा)

जाँचा गया

(ए0डी0ओ0 द्वारा)

नोट :- कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किया जाना है।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P. HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

चरण -2

उपभोगता द्वारा प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट

(पीआरडी के सहयोग से कार्यकारी संस्था द्वारा प्रदर्शित)

योजना का नाम	ग्राम	मकान नं०/पता/क्षेत्र का नाम	मानचित्र के अनुसार हाइड्रोलिक जोन (कस्टम जोन्स)	दिनांक	अवधि	सर्विस ओ.एच.	सर्विस लाइन का व्यास	दिशानिर्देश के अनुसार कस्टमर बाध्यता/दाब (किग्रा/सेमी ²)	टैप पर वास्तविक दबाव (किग्रा/सेमी ²)	ओ0एच0टी0 से अस्थाई दूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

क्रिटिकल प्रेशर जाँच बिन्दु विश्लेषण

क्र. सं.	मानचित्र/ड्राइंग के अनुसार कस्टम घयनित दिंदु (ओएचटी के समीप संस्तुत)	निकटस्थ एच.एच./सामुदायिक स्थान का पता	सर्विस मेन व्यास (एम.एम.)	मैटोरियल (एचडीपीई, डीआई इत्यादि)	दाब (किग्रा/सेमी ²)	पद्धति (दाबमापी/बाल्टी परीक्षण)

ई.एस.आर./ओ.एच.टी. हेतु ड्रॉप टेस्ट

क्र. सं.	ई.एस.आर.घ (U) डब्ल्यू.आर का स्थान	क्षमता (किली ली)	फिलिंग		ड्रॉप टेस्ट के बाद			लीकेज की मात्रा (ली./घंटा)	टिप्पणी
			दिनांक	समय	कन्टेनर में पानी का स्तर (मी० में)	दिनांक	समय		

नोट:

1. 'कोई लीकेज नहीं' केवल ड्रॉप टेस्टिंग विधि के मामले में स्वीकार्य है।
2. ड्रॉप टेस्ट उन ओएचटी/ईएसआर/जीएसआर के लिए किया जाएगा, जहां जलाशय कम से कम पिछले 6 महीनों से चालू नहीं है।

अपलोड साइट स्केच

अपलोड विश्लेषण/टिप्पणी

ए0डी0ओ0 (ब्लाक) द्वारा स्वीकृत

डी0पी0आर0ओ0 (जनपद) द्वारा स्वीकृत

नोट :- कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किया जाना है ।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश


S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

संक्षिप्त प्रक्रिया क्रिटिकल प्रेशर जाँच बिन्दु विश्लेषण


कार्यविधि :

- स्टेप 1 : प्रत्येक 'दबाव प्रबंधित क्षेत्रों' की पहचान करें।
- स्टेप 2 : एलिवेटेड सेगमेंट की पहचान करें (प्रत्येक सेगमेंट में न्यूनतम 5 अंक)
- स्टेप 3 : निम्नतम/टेल एण्ड सेगमेंट की पहचान करें।
- स्टेप 4 : उन चयनित बिंदुओं में उपभोगता टैप में दबाव को मापें।
- स्टेप 5 : सी.पी.एम.पी. में औसत क्षेत्रीय दाब की गणना करें।
- स्टेप 6 : निम्नतम/टेल एण्ड पर एल.पी.सी. और औसत दाब की गणना करें।
- स्टेप 7 : रिकॉर्ड और विश्लेषण

चित्र :



नमूना सेक्शन



नमूना मानचित्र

सी.पी.एम.पी.
क्रिटिकल प्रेशर मॉनिटरिंग पॉइंट में दबाव कम से कम उपभोगता के टैप पर वांछित दबाव तक पहुंचना चाहिये.

एफएचटीसी
प्रत्येक निचले सेगमेंट में कम से कम 5 एफ.एच.सी. में दबाव की जाँच की जानी चाहिए।

नोट

- सी.पी.एम.पी. और निचले बिंदुओं/टेल एण्ड के बिंदुओं को चिह्नित करें।
- औसत सीपीएमपी पर क्षेत्रीय दबाव उपभोगता के टैप पर वांछित दबाव के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
- एलपीसीडी और दबाव की गणना निचले खंडों/टेल एण्ड में की जानी चाहिए। यदि दबाव वांछित दबाव से अधिक (>2 गुना) है, तो 'पीआरवी' स्थापित किया जाना चाहिए।


नोट :- कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किया जाना है।



पंचायती राज निदेशालय
उत्तर प्रदेश

S.O.P._HANDOVER OF THE W/S PROJECTS.

धन्यवाद



पंचायती राज

Manoj